प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 6196/2008

याचिकाकर्ता : कृष्ण कुमार कश्यप

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन सोसायटी एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश उद्घोषित करने का दिनांक 18 जनवरी, 2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 6196/2008

याचिकाकर्ता : कृष्ण कुमार कश्यप

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन सोसायटी एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित:

श्री पी.एस. कोशी, के साथ श्री संदीप अग्रवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री वाई.एस. ठाकुर, उत्तरवादी क्र. 1 के अधिवक्ता

श्री जे.एन. नंदे, उत्तरवादी क्र. 2 और 3 के अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय और आदेश

(18 जनवरी, 2010 को उद्घोषित)

(1) इस याचिका में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-05-2008 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, धमतरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-08-2004 (अनुलग्नक पी/8) के विरुद्ध याचिकाकर्ता का आवेदन दिनांक 03-11-2004 (अनुलग्नक पी/9) को खारिज कर दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 01-01-1974 को उत्तरवादी क्र. 2 के साथ सहायक ग्रेड III के पद पर नियुक्त किया गया था और

धमतरी में पदस्थ किया गया था। दिनांक 14-11-1990 को, याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के प्रस्तावित दंड का जवाब प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 16-11-1990 के आदेश (अनुलग्नक पृ/2) द्वारा निलंबित कर दिया गया। उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा परीक्षण की गई और दिनांक 27-12-1991 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा, याचिकाकर्ता को वित्तीय गबन के लिए सेवा से हटा दिया गया और याचिकाकर्ता से 22,803.98 रुपये की वसूली का निर्देश दिया गया। निष्कासन आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने संयुक्त संचालक, मंडी, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 09-01-1995 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा, सेवा से हटाने के दंड पर पुनर्विचार करने और 22,803.98 रुपये की अतिरिक्त वसूली की सीमा तक अपील स्वीकार कर ली। याचिकाकर्ता को बिना वेतन दिए सेवा में बहाल कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने दिनांक 25-01-1995 को पदभार ग्रहण करने के लिए आवेदन किया (अनुलग्नक पी/5)। तत्पश्चात, दिनांक 11-02-1995 को (अनुलग्नक पी/6) याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण के साथ एक समझौता किया और एक वचनबद्धता प्रस्तुत की कि वह बिना वेतन दिए बहाली के आदेश को चुनौती नहीं देगा। याचिकाकर्ता को दिनांक 16-02-1995 को सेवा में बहाल कर दिया गया (अनुलग्नक पी/7)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) नौ वर्ष की अवधि के पश्चात, संयुक्त संचालक, मंडी के दिनांक 09-01-1995 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) के अनुसरण में, अन्य अधिरोपित दंड पर विचार करते हुए, उत्तरवादी क्र. 3 ने आगामी पाँच वर्षों के लिए पदोन्नति रोकने का आदेश पारित किया और दिनांक 14-08-2004 को 17,931.26 रुपये की राशि वसूलने का निर्देश दिया (अनुलग्नक पी/8)। इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने दिनांक 3-11-2004 (अनुलग्नक पी/9) को अपीलीय प्राधिकारी, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 01-05-2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा अपील को यह कहते हुए खारिज कर

दिया कि याचिकाकर्ता की शिकायत का परीक्षण संयुक्त संचालक, मंडी, भोपाल द्वारा दिनांक 09-01-1995 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा पहले ही की जा चुकी है और इस प्रकार, अपील को दिनांक 09-01-1995 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) की समीक्षा मानते हुए, आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। यह याचिका प्रस्तुत की गई.

(4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी एवं श्री संदीप अग्रवाल ने निवेदन किया कि संयुक्त संचालक, मंडी, भोपाल ने याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय देते हुए, दिनांक 09-01-1995 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा पाया कि याचिकाकर्ता ने कोई अनियमितता धारित नहीं की है, अतः निष्कासन आदेश को निरस्त किया जाता है और 22803.98 रुपये की वसूली का आदेश भी अपास्त किया जाता है, तथा अधीनस्थ प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सेवा से निष्कासन को अनुपातहीन मानते हुए, दंड अधिरोपित पर पुनर्विचार करें और वसूली की राशि का पुनः आकलन करें। आगे यह तर्क दिया गया कि प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वे उचित समय के भीतर मामले पर विचार करें और उचित आदेश पारित करें। उत्तरवादी क्र. 3 ने अपने मामले पर पुनर्विचार करने के लिए दिनांक 09-01-1995 (अनुलग्नक पी/4) के आदेश के बाद लगभग 9 वर्ष का समय लिया। उत्तरवादी क्र. 2 और 3-प्राधिकारियों को अगले पांच वर्षों के लिए पदोन्नति रोकने और 17,931.26 रुपये की वसूली का निर्देश देने का आदेश पारित करने से पहले नए सिरे से परीक्षण करके सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था। श्री कोशी ने आगे तर्क दिया कि अपील में पारित दिनांक 01-05-2008 (अनुलग्नक पी/1) का आक्षेपित आदेश अन्यायपूर्ण और अनुचित है क्योंकि वाद का कारण तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक 14-08-2004 (अनुलग्नक पी/8) को दंड आदेश पारित किया गया जिसमें निर्देशानुसार अगले पांच वर्षों के लिए पदोन्नति रोकने और 17,931.26 रुपये की वसूली का आदेश दिया गया था। 9 वर्ष की देरी को अनुमोदन तथा परित्याग के समान माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) श्री कोशी ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 11-02-1995 (अनुलग्नक पी/7) का समझौता, जो याचिकाकर्ता द्वारा बिना वेतन के बहाली के आदेश को चुनौती न देने के दबाव में किया गया था, याचिकाकर्ता के विधिक अधिकार के विरुद्ध है और यह एक वैध और विधिक समझौता नहीं है। अगले पाँच वर्षों के लिए पदोन्नति अधिरोपित करने का आदेश वास्तव में इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 3-3-2008 (अनुलग्नक पी/10) को एक अभ्यावेदन दिया था कि उसे समयबद्ध पदोन्नति यानी क्रमोन्नति प्रदान करने पर विचार किया जाए क्योंकि उसने पहले ही 34 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। पाँच वर्षों के लिए पदोन्नति रोकना एक दीर्घ शास्तिहै और इसे दंड का आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) दूसरी ओर, उत्तरवादी क्र. 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जे.एन. नंदे ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। यह आदेश न तो अवैध था, न ही मनमाना था और न ही निरर्थक था। याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निर्दोष साबित नहीं हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया कि पिछली अपील दिनांक 09-01-1995 (अनुलग्नक पी/4) के तर्कपूर्ण आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसके तहत निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया गया था और उत्तरवादी क्र. 3 को निष्कासन के लिए अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार करने और राशि की वसूली का पुनर्मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके उपरांत कोई नया वाद-कारण उत्पन्न नहीं हुआ और इसलिए, कोई सुनवाई आवश्यक नहीं थी। इसमें कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई। दस्तावेज़ी साक्ष्य और गवाहों का परीक्षण के आधार पर, अनुशासनात्मक परीक्षण में याचिकाकर्ता को लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया।

(7) उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वाई.एस. ठाकुर ने उत्तरवसादी क्र. 2 और 3 द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि संयुक्त संचालक, मंडी, भोपाल (अनुलग्नक पी/4) द्वारा पारित आदेश अंतिम हो गया है और पुनर्विचार और दंड अधिरोपण समय कोई नोटिस या सुनवाई आवश्यक नहीं थी।

(8) मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके अभिवशनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि निष्कासन आदेश और 22,803.98 रुपये की वसूली के विरुद्ध याचिकाकर्ता की अपील संयुक्त संचालक, मंडी, भोपाल द्वारा दिनांक 09-01-1995 के आदेश द्वारा स्वीकार की गई थी। इसके अतिरिक्त, सेवा से निष्कासन का दंड अधिरोपित किए जाने से पहले, कारण बताओ नोटिस दिया गया था, आरोप विरचित किए गए थे और उचित जांच की गई थी। अपीलीय प्राधिकारी ने मामले के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और जांच समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को सही ठहराया कि आरोप क्र. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17 और 19 पूरी तरह से सिद्ध पाए गए और आरोप क्र. 3, 9, 12 और 15 आंशिक रूप से सिद्ध पाए गए। हालाँकि, यह पाया गया कि सेवा से निष्कासन किए जाने का दंड अनुपातहीन थी, इसलिए प्राधिकारियों को सेवा से निष्कासन किए जाने के दंड के स्थान पर कोई अन्य उपयुक्त दंड देने पर विचार करना चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया कि 22,803.98 रुपये की वसूली का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और याचिकाकर्ता से दिनांक 09-01-1995 को वास्तविक नुकसान की वसूली की जाए (अनुलग्नक पी/4)। यह भी निर्विवाद है कि अगले पाँच वर्षों के लिए पदोन्नति पर रोक लगाने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो कि 9 वर्षों की अवधि के बाद याचिकाकर्ता पर लगाया गया एक दीर्घ शास्ति है। बिना वेतन के बहाली के आदेश को चुनौती न देने के लिए याचिकाकर्ता और उत्तरवादीगणों के बीच हुए समझौते के क्रियान्वयन पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में वह विवाद का विषय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, धमतरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-08-2004 (अनुलग्नक पी/8) के विरुद्ध याचिकाकर्ता की अपील को गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर खारिज कर दिया कि निष्कासन के पूर्व आदेश को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई थी और यह पाया गया था कि याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का दंड अनुपातहीन था। इस प्रकार, संभवतः प्रबंध निदेशक ने यह मान लिया कि दिनांक 14-08-2004 (अनुलग्नक P/8) के आदेश के विरुद्ध अपील, द्वितीय अपील के समान है। यह विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। प्रबंध निदेशक ने पाँच वर्षों तक पदोन्नति रोकने के दंड को योग्यता के आधार पर लागू नहीं किया है। सेवा विधि में, यह सुस्थापित है कि नोटिस के दो चरण होते हैं, एक अनुशासनिक जांच शुरू होने से पहले और दूसरा दंड अधिरोपण से पूर्व। पाँच वर्षों के लिए पदोन्नति रोकने का दंड आदेश, दिनांक 09-01-1995 (अनुलग्नक P/4) के आदेश पारित होने के लगभग 9 वर्ष पश्चात पारित किया गया थ। सभी पक्षों का यह स्वीकृत प्रकरण है कि पाँच वर्षों के लिए पदोन्नति रोकने और 17,931.26 रुपये की वसूली का आदेश लागू करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और इस प्रकार, दंड अधिरोपण से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का दूसरा अवसर नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) यद्यपि द्वितीय आदेश संयुक्त संचालक, मंडी, भोपाल द्वारा दिनांक 09-01-1995 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) में प्रदत्त स्वतंत्रता के अनुसरण में पारित किया गया हो, तथापि अपीलीय प्राधिकारी का यह तर्क कि यह उसी वाद कारण के विरुद्ध द्वितीय अपील के समान है, स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। यह विधि की दृष्टि से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

(11) *लव निगम बनाम चेयरमैन एवं एमडी आईटीआई लिमिटेड एवं अन्य*[1] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किए है:

> "10. उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इस न्यायालय के इस सुसंगत दृष्टिकोण के विपरीत था कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी परीक्षण अधिकारी के दृष्टिकोण से भिन्न है, तो वह अपीलार्थी को अपने अस्थायी निष्कर्षों की सूचना देने के लिए बाध्य है। अपीलार्थी को सुनवाई के पश्चात ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी दोषी के अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचेगा। इसके उपरांत, कर्मचारी को प्रस्तावित दंड से संबंधित सूचना पुनः देनी होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) *रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य*[2] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किए है:

> "23. इसके अतिरिक्त, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किसी भी तर्क से समर्थित नहीं हैं। चूँकि उनके द्वारा पारित आदेशों के गंभीर सिविल परिणाम होते हैं, इसलिए उचित कारण बताए जाने चाहिए थे।"

(13) *साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम सपन कुमार मित्रा एवं अन्य*[3] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "14. .....यह सुस्थापित है कि जांच अधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी ही तथ्यों के एकमात्र निर्णायक होते हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता

[1] (2006) 9 एससीसी 440
[2] (2009) 2 एससीसी 570
[3] (2006) 2 एससीसी 584

और विश्वसनीयता ऐसा विषय नहीं है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट कार्यवाही में विचार किया जा सके। (आंध्र *प्रदेश राज्य बनाम एस. श्री रामा राव* देखें।)"

(14) उपर्युक्त अभिलेखित कारणों के आधार पर, दिनांक 14-08-2004 के आदेश (अनुलग्नक पी/8) और दिनांक 01-05-2008 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) को अपास्त किया जाता है। यह प्रकरण प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर के पास पुनः विचारार्थ भेजा जाता है ताकि याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विधि अनुसार नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।

(15) रिट याचिका उपरोक्तानुसार बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Brijesh Kumar Tiwari